कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ
TARBHAR,email:-bsp.jd18@gmail.com, phone No.07752-493695,
www.jdeducationbsp.webs.com

आदेश

क्र./स्था.3/**व्यायाम शिक्षक/ई संवर्ग**/2555/2021/ बिलासपुर दिनांक–**24/08/2021**

छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र कमांक एफ आर नं 1103/2019/20–दो नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के द्वारा शिक्षकों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन– प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर क्र./स्था.02/सीधी भर्ती/65/2020//355/ नवा रायपुर, दिनांक 21/09/2020 के अनुकम में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत **व्यायाम शिक्षक** के पद पर सातवें वेतनमान 9300–34800 वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में **व्यायाम शिक्षक ई संवर्ग** के पद पर नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है:–

रैंक/रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग	
1	2	3	4	5	6	7
345/ 13091231	**BHUVNESHWAR I SAHU,** ***FATHER -BABULAL SAHU***	HOUSE NO- IMLIBHATHA BANDHWAPARA STREET- THANA SARKANDA CITY- BILASPUR POST OFFICE- SECL DIST-Bilaspur STATE- CHHATTISGARH PINCODE-495006	OBC	यू डाईस – 22071109405 शाला का नाम– शास.उ.मा. शाला चपोरा विकासखंड– कोटा, जिला– बिलासपुर	UR	F

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित नियम एवं शर्तो के अधीन होगी:–

1. नियुक्त शिक्षक 10 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. नियुक्त शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्वातेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा–

   प्रथम वर्ष – वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष – वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष – वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
4. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त ई संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे। नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।